

फर्ट अहकाम (11)

(नियम 15)

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

मुकदमा लक्ष्मी नारायण बनाम सुम नं. 89 सन 2009  
दावा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/11/09 वहीष वादी ने राम भरोषी जला  
 ने दावा बाबत इलाकर एड 9  
 शर्माई निवेद्या का पत्र पठाया  
 रिपोर्ट का उपलोकन किया गया।  
 दावा दर्ज पंजिका कर, उरि वादी जलो  
 का सम्मन जारी कर दिनांक 14/9/09  
 का पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

14/9/09 वादी वकील उपस्थित। प्रारंभिक नं 5 की  
 और से (अंश-वंड का) एड 9 का पत्र (लावा) पेश  
 हुआ। प्रारंभिक नं 6,7 की और से वादी  
 मुकदमा कोई उपस्थित नहीं उनके किन्तु एक  
 पक्षीय कार्यवाही अमल में ला जाया है।  
 वादी जवाब देना प्रारंभिक नं 1 एवायन 5  
 दि 7/10/09 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

7/10/09 वकील उपस्थित। प्रारंभिक नं 5 की और से  
 जवाब देना पेश किया नकल वादी वकील को  
 मिल गई। वादी कार्यवाही (नकारात्मक) दिनांक 16/11/09  
 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 खल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरकर अदिकारी मुकाम दोडामीम व  
 इजलास पीठासीन अदिकारी की जगदीश आर्य R.A.S  
 उन्वान

श्री श्री बारायण पुत्र  
निवासी - जाति मीना  
गांधी - गांवडी  
तहसील - दोडामीम  
वादी

**बनाम**

1 प्रेमवेवा रतन लाल (2) गंगाछाया  
 3 विश्वाम (4) रामेश्वर (5) दौर्या  
कि रतन लाल सगल जाति मीना  
निवासी - गांवडी तहसील दोडामीम  
 6 तहसीलदार दोडामीम  
 7 उपपंजीयक दोडामीम

प्रतिवादी

बत योषणा खोतदारी व  
स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं० 82 सन् 2009  
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबई श्री रामभरणी गुप्ता A.D.O व हाजिरी  
रायचन्द्र शर्मा A.D.O मिनकानिब गुदई खबरू दुभारे

व मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी विरुद्ध खारिज  
किया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय  
 का अदा करें फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 10 सन् 2015  
 जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उप जिल्हा कलक्टर  
 ओहदा दोडामीम (करीली)

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
अलत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ह सबूत			महन्ताना वकील		
इकील			खर्चा गवाहान		
पन			फीस कमिशनर		
शनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
पय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।